भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3299
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

बिहार में आंगनवाड़ी-सह-क्रेच

3299. श्री सुदामा प्रसाद:
श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मिशन शक्ति के अंतर्गत 'पालना योजना' के अंतर्गत स्वीकृत तथा वर्तमान में कार्यशील आंगनवाड़ी-सह-क्रेच (ए.डब्ल्यूसी.सी.) और अलग से कार्य करने वाले क्रेच की बिहार और तमिलनाडु में जिला-वार संख्या कितनी है और क्रेच कार्यकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार बिहार में कोई भी क्रेच कार्यशील नहीं है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को 'पालना योजना' के अंतर्गत उक्त राज्य में जारी की गई केंद्रीय निधि के कम उपयोग का पता चला है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त राज्य में स्वीकृत सभी क्रेचों को समय-बद्ध तरीके से कार्यशील करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2022 से पालन योजना के तहत आंगनवाड़ी सह क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य रोजगार स्थिति की परवाह किए बिना सभी माताओं के बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष की आयु) के लिए सुरक्षित वातावरण में डे-केयर क्रेच के साथ-साथ पोषण संबंधी सहायता, स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास, विकास

निगरानी, टीकाकरण, शिक्षा इत्यादि सुविधा प्रदान करना है। मिशन शक्ति के सामर्थ्य वर्टिकल के अंतर्गत पालना घटक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे केंद्र तथा राज्य सरकारों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60:40 के वित्तपोषण अनुपात के साथ क्रियान्वित किया जाता है, जबकि उत्तर-पूर्वी एवं विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है। विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधि व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के एकल नोडल एजेंसी (एसएनए)/एसएनए-स्पर्श तंत्र के माध्यम से जारी की जाती है।

बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वर्तमान में राज्य में 504 एडब्ल्यूसीसी कार्यशील हैं। बिहार राज्य में मिशन शक्ति के अंतर्गत पालना योजना के तहत कुल 487 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और 17 क्रेच वर्कर कार्यरत हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में कोई भी एडब्ल्यूसीसी कार्यशील नहीं है। बिहार राज्य में आंगनवाड़ी सह क्रेच (एडब्ल्यूसीसी) का जिला-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

"बिहार में आंगनवाड़ी-सह-क्रेच" विषय पर श्री सुदामा प्रसाद और श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि संसद सदस्य (लोकसभा) द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3299 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

बिहार में एडब्ल्यूसीसी का विवरण				
क्र.सं.	**जिला**	**कार्यशील एडब्ल्यूसीसी की संख्या**	**आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के अधीन कार्यशील एडब्ल्यूसीसी की संख्या**	**उन एडब्ल्यूसीसी की संख्या जहाँ क्रेच वर्कर कार्यरत हैं**
1	अररिया	1	1	0
2	अरवल	2	1	1
3	औरंगाबाद	22	22	0
4	बांका	13	13	0
5	बेगूसराय	2	2	0
6	भागलपुर	34	33	1
7	भोजपुर	30	30	0
8	बक्सर	2	2	0
9	दरभंगा	2	2	0
10	गया	2	2	0
11	गोपालगंज	31	31	0
12	जमुई	20	20	0
13	जहानाबाद	15	15	0
14	कैमूर	2	2	0
15	कटिहार	2	2	0
16	खगरिया	10	10	0
17	किशनगंज	2	2	0
18	लखीसराय	2	2	0
19	मधेपुरा	2	2	0
20	मधुबनी	43	43	0
21	मुंगेर	20	19	1
22	मुजफ्फरपुर	3	1	2
23	नालंदा	2	0	2
24	नवादा	2	0	2
25	पश्चिम चंपारण	43	42	1
26	पटना	51	51	0
27	पूर्वी चंपारण	2	1	1
28	पूर्णिया	2	2	0
29	रोहतास	4	4	0
30	सहरसा	2	1	1
31	समस्तीपुर	2	2	0
32	सारण	41	41	0

33	शेखपुरा	7	6	1
34	शिवहर	2	2	0
35	सीतामढ़ी	2	1	1
36	सिवान	40	38	2
37	सुपौल	2	2	0
38	वैशाली	38	37	1
	कुल	**504**	**487**	**17**
